शब्दावली

1.	एक्सेस सेवा	सर्किट और/अथवा पैकेट स्विच्ड इक्विपमेन्ट के द्वारा लाइसेंसधारी के नेटवर्क पर ध्वनि और/अथवा गैर–ध्वनि के संदेशों का संग्रहण, परिवहन, प्रेषण तथा वितरण एक्सेस सेवा है।
2.	ए जी आर	समायोजित सकल राजस्व–ए जी आर अनुमति योग्य कटौतियों (यथा, लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार, कॉल के परिवहन (आई यू सी)/रोमिंग हेतु अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भुगतान किए गए पी एस टी एन प्रभार तथा सरकार को वास्तव में भुगतान किए गए सेवा/बिक्री कर) से घटाया गया सकल राजस्व है।
3.	मूल सेवाऐं	एक सेवा प्रदाता को उपभोक्ताओं को पब्लिक स्विच्ड नेटवर्क अथवा अनुगामी नेटवर्क का उपयोग करते हुए ध्वनि श्रेणी की कॉलों को समस्त दूरियों पर भेजने तथा ग्रहण करने की क्षमता अवश्य देनी चाहिए।
4.	बी एस ओ	मूल सेवा ऑपरेटर–इनको अपने कवरेज क्षेत्रों में सी डी एम ए तकनीक का उपयोग करते हुए वायरलेस लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल (एम)) पर सीमित मोबिलिटी सेवाओं को प्रदान करने की अनुमति थी।
5.	बी डब्ल्यू ए	ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस
6.	सी ए जी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
7.	कॉल प्रभार	काल प्रभार परिवर्तनशील है तथा कॉलर के एक्सचेन्ज से प्राप्तिकर्ता के एक्सचेन्ज तक कॉल को रूट करने के लिए उपकरण की लागत हेतु दिए जाते हैं।
8.	केपेक्स	पूँजीगत व्यय
9.	कैरियर सेवायें	तार सहित या बेतार सुविधाओं का कॉलों के प्रारम्भ, समापन अथवा संक्रमण हेतु, इंटरकनेक्शन प्रभार के आरोपण हेतु, घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय कॉलों का समाधान या समापन हेतु, खम्भों से संपर्क को शामिल करते हुए संयुक्त रूप से उपयोग की गई सुविधाओं के प्रभारों हेतु, सर्किटों के विशिष्ट उपयोग हेतु प्रभारों के लिए डेटा सर्किट या टेलीग्राफ सर्किट स्पीच सर्किट को शामिल करते हुए समर्पित या लीज्ड सर्किट का प्रावधान।
10.	सी सी ए	संचार लेखा नियंत्रक
11.	सी डी एम ए	कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (सी डी एम ए) बेतार सेवाओं को प्रदान करने हेतु एक तकनीक है।
12.	सी एम टी एस	सेल्लुलर मोबाईल टेलीफोन सेवा–यह एक प्रकार की शर्ट–वेव एनालाग या डिजीटल दूरसंचार सेवा है जिसमें उपभोक्ता का मोबाईल फोन द्वारा एक निकट के ट्रांसमीटर से बेतार संपर्क होता है। ट्रांसमीटर के कवरेज का फैलाव एक सेल कहलाता है। जैसे ही सेल्लुलर मोबाइल उपभोक्ता एक सेल से या कवरेज क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या सेल में जाता है, टेलीफोन प्रभावी रूप से स्थानीय सेल ट्रांसमीटर को हस्तांतरित हो जाता है।
13.	डेटा सेवायें	डेटा के प्रभावी संप्रेषण हेतु बेतार या तारसहित सेवाओं तथा इस हेतु विशिष्ट रूप से बनाई गई सेवाओं तक पहुँच का प्रावधान।
14.	डी ओ टी	दूरसंचार विभाग
15.	प्रवेश शुल्क	डी ओ टी द्वारा निर्धारित एक मुश्त गैर–वापसी योग्य प्रवेश शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अनुबंध हस्ताक्षर करने से पूर्व करना होता है।
16.	एफ ए टी	मुफ्त एयर टाईम
17.	निश्चित लाइसेंस शुल्क व्यवस्था	राष्ट्रीय दूरसंचार नीति–1994 की व्यवस्था के दौरान लाइसेंसधारी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते थे तथा बोली प्रक्रिया के दौरान स्वीकार की गई वार्षिक लाइसेंस फीस की निश्चित राशि सरकार को देते थे।
18.	एफ ओ सी	मुफ्त (फ्री ऑफ कॉस्ट)
19.	एफ टी टी	फुल टॉक टाईम

20.	जी आर	जी आर– स्थापना प्रभार, विलम्ब शुल्क, हैण्डसेट्स (या अन्य किसी टर्मिनल उपकरण इत्यादि) की बिक्री से हुई आय, ब्याज, लाभांश, मूल्यवर्धित सेवाएं, अनुपूरक सेवाएं, एक्सेस तथा इंटरकनेक्शन प्रभार, रोमिंग प्रभार, अधोसंरचना के स्वीकार्य साझेदारी से या अन्य विविध राजस्व को किसी भी प्रकार से संबंधित व्यय हेतु समंजन के बगैर, शामिल कर सकल राजस्व होगा।
21.	जी एस एम	मोबाईल दूरसंचार हेतु वैश्विक तंत्र, बेतार सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक तकनीक है।
22.	आई एल डी	अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी–आई एल डी मूलतः एक नेटवर्क परिवहन सेवा (बियरर भी कहा जाता है) है जो कि विदेशी कैरियरों द्वारा संचालित नेटवर्क को अंर्तराष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करती है।
23.	स्थापना प्रभार	उपभोक्ता हेतु टर्मिनल उपकरणों की स्थापना हेतु प्रभार
24.	इंटरकनेक्शन प्रभार	अन्य सेवा प्रदाताओं पर नेटवर्क ऑपरेटरों द्वारा इंटरकनेक्शन सुविधा की लागत की वसूली हेतु, (रूटिंग, सिग्नलिंग तथा अन्य मूल सेवा क्रियाकलापों हेतु हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को शामिल करते हुए) जो कि नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा प्रदान किया गया है, आरोपित एक प्रभार
25.	इंटरनेट सेवाऐं	इंटरनेट में एक्सेस करने, उपयोग करने अथवा भाग लेने हेतु प्रदत्त इंटरनेट सेवाऐं।
26.	इंटरनेट टेलीफोनी	इंटरनेट टेलीफोनी वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वी ओ आई पी) पर आधारित डिजीटल दूरसंचार सेवाऐं, जो कि इंटरनेट के माध्यम से प्रावधानित हैं, प्रदान करती है।
27.	आई ओ टी	अंतर–ऑपरेटर ट्रैफिक
28.	आई पी–I	अधोसंरचना प्रदानकर्ता श्रेणी–I-आई पी–I हेतु कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। आई पी–I के तहत पंजीकृत कंपनी डार्क फाईबर, राईट ऑफ वे, डक्ट स्पेस तथा ऑवर जैसे संसाधन प्रदान कर सकती है।
29.	आई पी– II	अधोसंचरना प्रदानकर्ता श्रेणी–II एक आई पी–II लाइसेंसी अंत से अंत तक बैण्डविड्थ यथा, संदेश का परिवहन करने में सक्षम एक डिजिटल संप्रेषण क्षमता, लीज पर/किराए पर दे सकता है/बेच सकता है। आई पी–2 लाइसेंस 14.12.05 की तिथि से जारी होना बंद हो गया है।
30.	आई एस पी	इंटरनेट सेवा प्रदाता
31.	आई एस पी (आई टी)	इंटरनेट सेवा प्रदाता (इंटरनेट टेलीफोनी शामिल करते हुए)
32.	आई यू सी	इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार जैसा क्रमांक 24 में बताया गया है।
33.	लाइसेंस शुल्क	लाइसेंसधारी समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) के प्रतिशत के रूप में, डी ओ टी द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंसों पर, आधारित दूरसंचार सेंवाओं को प्रदान करने के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा।
34.	एल एस ए	लाइसेंस्ड सेवा क्षेत्र (परिमंडल)
35.	माईक्रोवेव एक्सेस	जी एस एम तथा सी डी एम ए आधारित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं हेतु माईक्रोवेव (एम डब्ल्यू) एक्सेस सामान्यतः 10 गीगाहर्टज फ्रीक्वेंसी बैण्ड तथा इसके अधिक में होता है।
36.	माईक्रोवेव बैकबोन	जी एस एम तथा सी डी एम ए आधारित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं हेतु माईक्रोवेव (एम डब्ल्यू) बैकबोन नेटवर्क सामान्यतः 10 गीगाहर्टज फ्रीक्वेंसी बैण्ड से नीचे होते हैं।
37.	एम ओ सी एवं आई टी	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
38.	एन एल डी	राष्ट्रीय लम्बी दूरी – राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एन एल डी) सेवा स्विच्ड–बियरर दूरसंचार सेवाओं के लम्बी दूरी नेटवर्क, यथा – विभिन्न छोटी दूरी आवेशीय क्षेत्रों (ए डी सी ए) को आपस में जोड़ने हेतु एक नेटवर्क, पर परिवहन को कहते हैं।
39.	एन टी पी – 94	राष्ट्रीय दूरसंचार नीति – 1994
40.	एन टी पी – 99	नवीन दूरसंचार नीति – 1999

41.	ओपेक्स	संचालनगत व्यय
42.	पी एस पी	निजी सेवा प्रदाता
43.	पी एस टी एन प्रभार	पब्लिक स्विच्ड दूरसंचार नेटवर्क प्रभार
44.	राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था	नवीन दूरसंचार नीति–99 ने 'राजस्व हिस्सेदारी' व्यवस्था का प्रारंभ किया जिसमें एक निश्चित लाइसेंस फीस के स्थान पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उनके समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) के प्रतिशत के रूप में लाइसेंस फीस का भुगतान करना होता था।
45.	रोमिंग प्रभार	सेल्लुलर उपभोक्ता हेतु रोमिंग, विजिटेड नेटवर्क के माध्यम से, स्वचालित रूप से ध्वनि कॉलों को करने तथा प्राप्त करने, डेटा को भेजने तथा प्राप्त करने, अथवा अन्य सेवाओं को प्राप्त करने की क्षमता है, जब वह घरेलू नेटवर्क के भूगोलीय कवरेज क्षेत्र से बाहर गमन कर रहा हो। इस सुविधा हेतु प्रभार रोमिंग प्रभार कहलाते हैं।
46.	बिक्री कर	बिक्री कर एक उपभोग कर है जो कि सरकार द्वारा सामानों एव सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है।
47.	सेवा कर	सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली कतिपय सेवाओं पर सरकार द्वारा आरोपित कर सेवा कर है, परंतु यह वास्तव में उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है। यह अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत श्रेणीबद्व किया गया है और वित्तीय एक्ट 1994 के द्वारा अस्तित्व में आया।
48.	एस यू सी	स्पैक्ट्रम उपयोग प्रभार – लाइसेंस फीस के अतिरिक्त, बेतार सेवा प्रदाताओं को ए जी आर के प्रतिशत के रूप में स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार का भुगतान करना होता है।
49.	अनुपूरक सेवाऐं	जी एस एम तीन प्रकार की मूलभूत सेवा प्रदान करता है: टेलीफोनी सेवाऐं या टेलीसर्विसेज, डेटा सेवाऐं या बियरर सेवाएं तथा अनुपूरक सेवाऐं व अतिरिक्त सेवाऍं है जो टेलीसर्विसेज व बियरर सेवाओं के अलावा प्रदान की जाती है। इन अनुपूरक सेवाओं में कॉलर आईडेन्टीफिकेशन कॉल अग्रेषण, कॉल होल्ड, कॉल प्रतीक्षा, कानफ्रेंसिंग, नम्बर आईडेन्टिफिकेशन, क्लोज्ड यूजर ग्रुप तथा बाहर जाने वाली (अंतर्राष्ट्रीय) कालों पर प्रतिबंध शामिल हैं।
50.	टी बी	ट्रायल बैलन्स
51.	टी डी सैट	दूरसंचार विवाद निपटारण तथा अपीलीय ट्रिब्यूनल (टेलीकॉम डिस्प्यूटस सेटलमेंट एण्ड अपीलेट ट्रिब्यूनल)
52.	टर्मिनल उपकरण	संचार सर्किट या चैनल के समापन बिन्दु को दर्शाने वाला एक उपकरण। टर्मिनल उपकरण में वॉयस् टर्मिनल उपकरण तथा डेटा टर्मिनल उपकरण को शामिल करते हुए उपभोक्ता के परिसर में लगे उपकरण शामिल हैं।
53.	टी आर ए आई (ट्राई)	भारत का दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
54.	यू ए एस एल	समेकित एक्सेस सेवा लाइसेंस – यू ए एस एल सेवा एक विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्र में लाइसेंसधारी के नेटवर्क पर ध्वनि तथा/अथवा गैर–ध्वनि संदेशों का संग्रहण, परिवहन, संप्रेषण तथा वितरण को आवृत करती है तथा समस्त प्रकार की एक्सेस सेवाओं के प्रावधान को शामिल करती है। एक्सेस सेवा प्रदाता इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट सेवाएं तथा ब्राडबैण्ड सेवाऐं भी प्रदान कर सकता है। अगर आवश्यकता हो, तो एक्सेस सेवा प्रदाता एन एल डी/आई एल डी सेवा के लाइसेंसधारी का नेटवर्क उपयोग कर सकता है। एक्सेस सेवा तारसहित तथा/अथवा बेतार एवं फिक्स्ड बेतार सेवा को, परंतु इतने तक ही सीमित नहीं, शामिल करती है।

55.	यू एल	समेकित (यूनीफाईड) लाइसेंस – लाइसेंधारी किसी भी तकनीक का सेवा क्षेत्रों में निर्धारित मानकों के अनुसार इस लाइसेंस के तहत प्राधिकृत सेवाओं के दायरे में, इस्तेमाल कर दूरसंचार नेटवर्कों तथा दूरसंचार सेवाओं को स्थापित, संचालित तथा संघारित कर सकता है। यदि लाइसेंसधारी एक्सेस स्पैक्ट्रम को प्राप्त कर लेता है तो तकनीक के इस्तेमाल में स्पैक्ट्रम के आवंटन से संबंधित नियम व शर्तें लागू होंगी।
56.	यू एस ओ	वैश्विक सेवा कर्तव्य (यूनिर्वल सर्विस ऑब्लिगेशन) – एन टी पी – 99 ने प्रावधान किया कि यू एस ओ को पूरा करने के लिए संसाधन ''यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यू ए एल)'' के माध्यम से जुटाए जाऐंगे, जो ऑपरेटरों द्वारा विभिन्न लाइसेंसों के अंतर्गत अर्जित किए गए राजस्व का प्रतिशत होंगे।
57.	मूल्यवर्धित सेवाऐं (वैल्यू ऐडेड सर्विस)	मूल्यवर्धित सेवाऐं (वी ए एस) गैर– मूल (नॉन कोर) सेवाओं के लिए या संक्षेप में, मानक ध्वनि कॉलों एवं फैक्स संप्रेषण के अलावा समस्त सेवाओं के लिए एक प्रचलित दूरसंचार उद्योग शब्द है। दूरसंचार उद्योग में सैद्धांतिक स्तर पर मूल्यवर्धित सेवा, मानक सेवा में मूल्यवर्धन करती है।
58.	वी सैट	अत्यंत लघु मुख अवसान (वैरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल) – वी सैट लाइसेंस को भारत की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर गैर–अनन्य आधार पर इनसैट उपग्रह तंत्र के माध्यम से वी सैट क्लोज्ड यूजर ग्रुप घरेलु डेटा नेटवर्क सेवा को स्थापित, लगाना संचालन तथा संधारित करना है।
59.	डब्ल्यू एफ डी	डी ओ टी की बेतार वित्तीय शाखा
60.	डब्ल्यू एल एल (एम)	वायरलैस इन लोकल लूप (मोबाइल)
61.	डब्ल्यू पी सी प्रभार	डी ओ टी के बेतार प्लानिंग तथा को–ऑर्डिनेशन शाखा द्वारा आरोपित प्रभार